



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
डी-6/ई-1/2025
दिनांक 22.12.2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 22.12.2025

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि: 22.01.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि: 29.01.2026

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त कर लें।
(c) ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।
(4) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।
(5) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑन-लाइन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- 1- User Instructions
- 2- View Advertisement
- 3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

ऑन-लाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण :- 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :-

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई-मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो:- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट प्रिन्टर आइकन पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरान्त 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण:- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी,

डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9) (क) स्क्रीनिंग परीक्षा के पश्चात अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2- आवेदन शुल्क : ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	-	आवेदन शुल्क रु 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/-
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	-	आवेदन शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/-
(iii) दिव्यांग श्रेणी	-	आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक	-	आवेदन शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	-	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

1- पशुधन विभाग, उ0प्र0

विभाग संख्या- सेवा-2/08

पद का नाम- पशुचिकित्सा अधिकारी

रिक्तियों की संख्या-

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	पी0एच0	मू0पू0 सैनिक	महिला
404	243	84	37	00	40	08	16 (एल.वी.-06, एच.एच.- 05, डी.डब्ल्यू.-03, ए.ए.वी.-02)	20	80

पद का स्वरूप- समूह-'ख', राजपत्रित, वेतनमान- लेवल-10, ग्रेड-पे: रु. 5400 रु. 15600 - 39100/-, आयुसीमा- न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

शैक्षिक अर्हताएं :-

क- अनिवार्य अर्हताएं :-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन में स्नातक (बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच.) की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित मान्यता प्राप्त अन्य पशु चिकित्सा अर्हता।

(2) उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा परिषद् से विधिवत् पंजीकृत होना आवश्यक है।

समकक्ष अर्हता- बी.वी.एससी. (बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस), जी.बी.वी.सी. (ग्रेजुएट ऑफ बंगाल वेटेनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बिहार वेटेनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे वेटेनरी कॉलेज), जी.एम.वी.सी. (ग्रेजुएट ऑफ मद्रास वेटेनरी कॉलेज), एल.वी.पी. (लाइसेंस्ड वेटेनरी प्रैक्टिशनर) तथा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित एम.आर.सी.वी.एस. (मेम्बर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ वेटेनरी सर्जन), बी.वेट.मेडि. (बैचलर ऑफ वेटेनरी मेडिसिन), बी.वी.एम. (बैचलर ऑफ वेटेनरी मेडिसिन), बी.वी.एससी. (बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस)।

ख- अधिमानी अर्हता :-

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, यदि वह :-

(क) स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या उच्चतर अर्हता रखता हो; या

(ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ;या									
(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो ।									
नोट :- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल0वी0, एच0एच0, डीडब्ल्यू0 तथा ए0ए0वी0 उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं ।									
<u>पद की संगत सेवा नियमावली</u>									
● उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा सेवा नियमावली, 2015									
<u>2– विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश</u>									
विभाग संख्या– सेवा–2 / 09, पद का नाम– विधीक्षण अधिकारी, रिक्तियों की संख्या– 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः– लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षण– कोई नहीं, पद का स्वरूप– समूह–‘ख’, राजपत्रित, वेतनमान– लेवल–10, रू0 56100–177500 / –, आयुसीमा– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।									
शैक्षिक अर्हताएँ :-									
क– अनिवार्य अर्हताएं :- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कला स्नातक उपाधि (एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिन्दी साहित्य के साथ) या विज्ञान स्नातक उपाधि या वाणिज्य स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय विधि स्नातक उपाधि									
या									
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पाँच वर्षीय विधि स्नातक की उपाधि।									
समकक्ष अर्हता– भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–03 / 2023 / 312 / 47–का–2–312 एलसी / 2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :–“.....									
3– उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैंः–									
(1)– ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।									
(2)– उक्त बिन्दु संख्या–1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–									
(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ स्नातक के रूप में मान्य होगी।									
(2) मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों / संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे। (3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार / विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग / अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा–नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।									
ख– अधिमानी अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–									
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या									
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “ब” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या									
(तीन) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।									
नोट :- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।									
<u>पद की संगत सेवा नियमावली</u>									
● उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 (यथा संशोधित)									
<u>3– परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश</u>									
विभाग संख्या– सेवा–6 / 03									
पद का नाम– स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी									
रिक्तियों की संख्या–									
कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
221	143	21	15	20	22	04	00	11	44
पद का स्वरूप– समूह–‘ख’, राजपत्रित, वेतनमान– लेवल–7, रू0 44900–142400 / –, आयुसीमा– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।									
शैक्षिक अर्हताएँ :-									
क– अनिवार्य अर्हताएं :-									
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए।									
नोट:- शासन के पत्र सं0–518 / 5–10–2024, दिनांक– 30.10.2024 के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में शामिल सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के अंतर्गत (1) सोशियोलॉजी (2) एन्थ्रोपोलॉजी (3) साइकोलॉजी (4) सोशल साइकोलॉजी (5) पॉलिटिकल साइन्स (6) ज्योग्राफी (7) हिस्ट्री और (8) इकोनामिक्स शामिल है।									
ख– अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–									
(एक) प्रसार कार्य का अनुभव; या									
(दो) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण।									
(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो									
या									
(चार) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।									
नोट :- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।									
<u>पद की संगत सेवा नियमावली</u>									
● उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षक सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित)									
<u>4– खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश</u>									
विभाग संख्या– सेवा–6 / 04									
पद का नाम– औषधि निरीक्षक									
रिक्तियों की संख्या–									
कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
26	11	05	00	08	02	00	01 (एल.वी.–01)	01	05
पद का स्वरूप– समूह–‘ख’, राजपत्रित, वेतनमान– लेवल–8, रू0 47600–151100 / –, आयुसीमा– न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।									
शैक्षिक अर्हताएँ :-									
क– अनिवार्य अर्हताएं :-									
(एक) नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीवविज्ञान में विशेषज्ञता के साथ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजिकी विज्ञान या आयुर्विज्ञान में उपाधि या समकक्ष उपाधि।									
(दो) (क) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 की अनुसूची ‘ग’ में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ के विनिर्माण में अठारह माह का अनुभव या									
(ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची ‘ग’ में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ का परीक्षण करने का अठारह माह का अनुभव या									

(ग) किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार में औषधि निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से किसी पदार्थ विनिर्माण करने वाली फर्मों के निरीक्षण में तीन वर्ष का अनुभव।									
समकक्ष अर्हता — बी0फार्मा या बैचलर इन फार्मास्युटिकल साइंसेज या बैचलर इन मेडिसीन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लीनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फार्म डी।									
ख— अधिमानी अर्हता :— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो									
या									
(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।									
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।									
नोट :— अनिवार्य अर्हता, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थों के सम्बन्ध में विज्ञापित अर्हता के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो उस राज्य (जहाँ कम्पनी / फर्म स्थित हो) के औषधि नियंत्रक द्वारा सत्यापित हो।									
नोट :— प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0 एवं डीडब्ल्यू0 उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।									
पद की संगत सेवा नियमावलियाँ									
● उत्तर प्रदेश राज्य औषधि नियंत्रण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1995 ● उत्तर प्रदेश राज्य औषधि नियंत्रण राजपत्रित अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 ● उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राजपत्रित अधिकारी (औषधि) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 ● उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राजपत्रित अधिकारी (औषधि) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015									
5— चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश									
विभाग संख्या — सेवा—8 / 02									
पद का नाम — दन्त सर्जन									
रिक्तियों की संख्या —									
कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
157	65	38	00	39	15	03	06 (एल.वी.—03, ओ.एल.—01, डी.डब्ल्यू.—01, ए.ए.वी.—01)	07	31
पद का स्वरूप — समूह—'ख', राजपत्रित, वेतनमान — लेवल—10, रू0 56100—177500 / —, आयुसीमा — न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)									
शैक्षिक अर्हताएँ :—									
क— अनिवार्य अर्हताएं :—									
सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस. (दन्त शल्य—चिकित्सा का स्नातक) की उपाधि या इंडियन डेन्टल काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता रखता हो।									
नोट :— 1. ऑन—लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण—पत्र होना चाहिए।									
2. उ0प्र0 डेन्टल काउन्सिल में बी0डी0एस0 का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।									
समकक्ष अर्हता — कोई समकक्ष अर्हता निर्धारित नहीं है।									
ख— अधिमानी अर्हता :— ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने—									
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो									
या									
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।									
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।									
नोट :— प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल0वी0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्ल्यू0 एवं ए0ए0वी0 उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।									
पद की संगत सेवा नियमावलियाँ									
● उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित)									
6— आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश									
विभाग संख्या — सेवा—9 / 05									
पद का नाम — चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद)									
रिक्तियों की संख्या —									
कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
168	122	15	00	15	16	03	06 (एल.वी.—01, ओ.ए.—01, ओ.एल.—01, एल.सी.—01, डी.डब्ल्यू.—01, ए.ए.वी.—01)	08	33
पद का स्वरूप — समूह—'ख', राजपत्रित, वेतनमान — लेवल—10, रू0 56100—177500 / —, आयुसीमा — न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)									
शैक्षिक अर्हताएँ :—									
अ— अनिवार्यअर्हताएं :—									
(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 की आयुर्वेद में पाँच वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा।									
(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0 से वैद्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण, और									
(ग) राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 06 माह का व्यवसायिक अनुभव।									
ब— अधिमानी अर्हता :—									
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि।									
नोट :— प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल0वी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0 एवं ए0ए0वी0 उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।									
पद की संगत सेवा नियमावलियाँ									
● उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित)									
7— आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश									
विभाग संख्या — सेवा—9 / 06,									
पद का नाम — चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी)									
रिक्तियों की संख्या —									
कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जा0	अनु0ज0 जा0	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्लू0 एस0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों	पी0एच0	भू0पू0 सैनिक	महिला
884	318	180	19	279	88	17	35 (एल.वी.—06, ओ.ए.—06, ओ.एल.—06, एल.सी.—06, डी.डब्ल्यू.—06, ए.ए.वी.—05)	44	176

(Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till.... (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs# - e.g. Single eye/both eyes£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती निवासी ग्राम- नगर- जिला- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान: हस्ताक्षर
दिनांक: पूरा नाम
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी (सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22 / 21 / 1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप -1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन /राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ... निवासी पूरा पता से दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता /टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन /राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन /नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल- कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ़ स्पोर्ट्स अथवा इंचारज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ़ स्पोर्ट्स या इंचारज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स /निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता /टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स /शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव